भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 696
दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

पीएम-पोषण

696 श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री भोजराज नाग:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री विजय बघेल:
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री आलोक शर्मा:
श्री जुगल किशोर:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री नव चरण माझी:
श्री भर्तृहरि महताब:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री शिवमंगल सिंह तोमर:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा विशेषकर महाष्ट्र के जलगांव और छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बेमेतरा में पीएम-पोषण के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में भाग लेने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या मंत्रालय की बालवाटिकाओं के अतिरिक्त अन्य प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केंद्रों में भोजन-व्यवस्था का प्रावधान लागू करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों सहित राज्यवार और जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका संभावित प्रभाव क्या होगा;

(घ) उक्त क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों और योजनाओं का लाभ पहुंचाने में एफपीओ और एसएचजी सहित स्थानीय हितधारकों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एसएचजी या अन्य संगठन को उक्त योजनाओं के अंतर्गत भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है/कहा गया है और यदि हां, तो मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र सहित इसमें भाग लेने वाले संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में इन संगठनों को इस प्रक्रिया में शामिल करने का विचार रखती है; और

(च) उक्त योजना के अंतर्गत बजटीय प्रावधान का ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्त वर्ष सहित गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इस हेतु कितनी निधि का आवंटन और उपयोग किया गया है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) : प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पीएम पोषण योजना में शामिल नहीं हैं, हालांकि, विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह स्कूल स्तर पर और साथ ही पीएम पोषण योजना के तहत भोजन पकाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में जलगांव और छत्तीसगढ़ में दुर्ग एवं बेमेतरा शामिल हैं।

(ख) और (ग): सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)' को मंजूरी दी है। सरकार ने देश भर में कक्षा I से VIII के बच्चों के अलावा प्राथमिक स्कूलों में भी प्री-स्कूल अथवा बालवाटिका (कक्षा I से पहले) के बच्चों के लिए पके हुए गर्म भोजन के प्रावधान का अनुमोदन किया है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सरकारी और सरकारी

सहायता प्राप्त स्कूलों के बालवाटिका (कक्षा I से ठीक पहले) और कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले लगभग 11.20 करोड़ बच्चे इस योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं।

(घ) से (च): पात्र बच्चों को पका हुआ गर्म और पोषक भोजन प्रदान करने सहित स्कीम के सुचारू कार्यकरण की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि अच्छी गुणवत्ता का भोजन परोसा जाना और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ये दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। चालू वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के लिए पीएम पोषण योजना के तहत बजटीय प्रावधान निम्नानुसार है: –

(करोड़ रुपए)

वर्ष	**बजट आवंटन**	**जारी की गई**	**उपयोग की गई**
2020-21	11000.00	12874.01	12767.10
2021-22	11500.00	10226.75	12609.43
2022-23	10233.75	12675.02	12162.89
2023-24	11600.00	8451.22	9380.20

******